आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड।

वी.

एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 5700)

14 सितंबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 9 , 11 और 17 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने माल के लिए एक समझौता किया

निपटान-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए-अपीलार्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और प्रत्यर्थी को नोटिस दिया-अपीलार्थी ने आवेदन यू/दायर किया अधिनियम की धारा 11, उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए-प्रतिवादी ने मध्यस्थता नोटिस का जवाब दिया

यह कहते हुए कि विवाद मध्यस्थ नहीं था और अपीलार्थी द्वारा देय और देय राशि थी-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों ने अलग-अलग आवेदन दायर किए एस. 9 वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष -

पूर्ववर्ती आवेदन के अनुसरण में यू / एस. 11, उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया-इसके बाद, अपीलार्थी ने दायर किया

दाखिल किए गए दोनों आवेदनों के संदर्भ के लिए आवेदन एस. 9 न्यायाधिकरण के लिए वाणिज्यिक न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया

संदर्भ-वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने की शक्ति है कि क्या यू / मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 अप्रभावी है और इसके तहत आवश्यक आदेश पारित करती है। एस. 9 का

उक्त अधिनियम-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एस। 9 (3) अधिनियम की धाराओं की उप-धारा (1) के तहत आवेदन को स्वीकार करने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। 9 एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद अधिनियम का प्रावधान - एस. 9 (1) पार्टियों को सक्षम बनाता है

मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ से पहले, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय, लेकिन इसे लागू करने से पहले और एस के अनुसार अंतरिम उपायों के लिए उपयुक्त न्यायालय से संपर्क करने के लिए मध्यस्थता समझौता। 36 मध्यस्थता अधिनियम का-एस का बार। 9 (3) अनुप्रयोग कहाँ काम करता है

यू/एस। 9 (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन तक विचार नहीं किया गया था-यदि एक आवेदन यू/एस। 9 न्यायाधिकरण के गठन के समक्ष विचार किया गया था, न्यायालय के पास हमेशा पक्षकारों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार है, यदि आवश्यक हो तो

1022 आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड।

अंतरिम संरक्षण का एक सीमित आदेश पारित करना, विशेष रूप से जब सुनवाई और आवेदन के बीच लंबे समय का अंतराल रहा है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, नए सिरे से सुनवाई की जानी है, या सुनवाई में

द हाई

अभी शुरू हुआ है और इसमें बहुत समय लगने की संभावना है न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय को आगे बढ़ने का सही निर्देश दिया है

निर्णय पूरा करें-यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नहीं होगा वाणिज्यिक न्यायालय के लिए राहत की प्रभावशीलता पर विचार करना आवश्यक है

यू/एस। 17 , आवेदन यू/एस के बाद से। 9 पहले से ही मनोरंजन किया गया है और वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा विचार किया गया।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 9 (3) - अभिव्यक्ति

' मनोरंजन '-आयोजितः अभिव्यक्ति "मनोरंजन" का अर्थ है द्वारा विचार करना

उठाए गए मुद्दों पर दिमाग का अनुप्रयोग-न्यायालय एक मामला जब वह किसी मामले को विचार के लिए लेता है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. धारा 9 (3) का बार एक मध्यस्थ के बाद काम करता है।

न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। इसलिए कोई सवाल नहीं हो सकता है कि

धारा के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता का दुरूपयोग

17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले। न्यायालय है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य,

यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाना बाकी है। क्या न्यायालय

यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है-क्या आवेदक ने किया है एक अच्छा प्रथम दृष्टया मामला, क्या सुविधा का संतुलन

आवेदक को राहत देने के पक्ष में है, क्या

अंतरिम राहत से इनकार करने से आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी

आदि। [पैरा 88] [1049-जी-एच; 1050-ए-बी]

2. यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि अभिव्यक्ति "मनोरंजन"

इसका अर्थ है उठाए गए मुद्दों पर विचार करना।

न्यायालय एक मामले पर विचार करता है जब वह किसी मामले को लेता है

विचार करें। विचार की प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है जब तक

निर्णय की घोषणा। एक बार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण है

गठित न्यायालय धारा के तहत आवेदन नहीं ले सकता है 9 विचार के लिए, जब तक कि धारा 17 के तहत उपाय नहीं है

अप्रभावी। हालांकि, एक बार आवेदन पर विचार किया जाता है

यह समझते हुए कि इसे विचार के लिए लिया गया है, और न्यायालय ने आवेदन किया है

न्यायालय के प्रति उसका मन निश्चित रूप से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है

आवेदन। [पैरा 93] [1052-डी-ई] [2021] 5 एस. सी. आर.

3. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के साथ धारा 9 के संयुक्त अध्ययन पर, एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद,

न्यायालय विचार नहीं करेगा और/या दूसरे शब्दों में विचार के लिए नहीं लेगा और अंतरिम उपाय के लिए एक आवेदन पर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जब तक कि धारा 17 के तहत उपचार अप्रभावी न हो, भले ही आवेदन के समक्ष दायर किया गया हो। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन। एक बार आवेदन स्वीकार किए जाने और लिए जाने के बाद धारा 9 (3) का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

अंतर। सवाल यह है कि क्या विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और/या क्या न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले कुछ हद तक अपने दिमाग को लागू किया है। यदि ऐसा है, तो कहा जा सकता है कि आवेदन पर पहले विचार किया गया था मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन। [पैरा 95] [1052-एफ-एच; 1053 ए-बी]

4. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी, ऐसे असंख्य कारण हो सकते हैं कि क्यों मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं हो सकता है। धारा 9 (1) का प्रभावी विकल्प। यह किसी भी मध्यस्थ की अस्थायी अनुपलब्धता के कारण भी हो सकता है।

बीमारी, यात्रा आदि के कारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण। [पैरा 96] [1053-बी-सी]

अंतिम राहत की सहायता के लिए दिया गया। इसका उद्देश्य मध्यस्थता का विषय होने के कारण संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और/या अन्यथा यह सुनिश्चित करें कि मध्यस्थता की कार्यवाही निष्फल न हो और मध्यस्थता पुरस्कार कागज पर एक पुरस्कार नहीं बन जाता है, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। [पैरा 97] [1053-सी-डी]

6. अंतरिम राहत देने के सिद्धांत हैं (i) प्रथम दृष्टया अच्छा मामला, (ii) अंतरिम राहत देने के पक्ष में सुविधा का संतुलन। राहत और (iii) अंतरिम राहत के लिए आवेदक को अपूरणीय क्षति या हानि। जब तक अंतरिम उपायों के लिए आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया जाता है

शीघ्रता से, अंतरिम राहत की मांग करने वाले पक्ष को अपूरणीय क्षति या पूर्वाग्रह हो सकता है।

[पैरा 98] [1053-डी-ई] आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड।

7. इसलिए, यह कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता था कि धारा 9 के तहत एक आवेदन के बाद भी अंततः राहत दी जाए।

अस्वीकार करना होगा और पक्षों को धारा 17 के तहत उनके उपचार के लिए प्रेषित किया जाएगा। [पैरा 99] [1053-ई-एफ] 8. जब कोई आवेदन पहले से ही विचार के लिए लिया जा चुका है और विचार की प्रक्रिया में है या पहले से ही विचार किया जा चुका है, तो यह जांचने का सवाल पैदा नहीं होगा कि धारा 17 के तहत उपचार प्रभावी है या नहीं। अभ्यास के संचालन की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब आवेदन पर विचार किया जा रहा हो और/या विचार के लिए लिया जा रहा हो।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो धारा 17 के तहत उपचार को अप्रभावी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने वाले विभिन्न मध्यस्थ दूर के स्थानों पर स्थित हो सकते हैं और तुरंत इकट्ठा होने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामले में अदालत को धारा 9 (1) के तहत तत्काल अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर विचार करना पड़ सकता है। [पैरा 100] [1053-एफ-एच]

9. यह दोहराया जाता है कि धारा 9 (1) पक्षों को सक्षम बनाती है -

मध्यस्थता की शुरुआत से पहले अंतरिम उपायों के लिए उपयुक्त न्यायालय से संपर्क करने के लिए एक मध्यस्थता समझौता कार्यवाही, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय, लेकिन इसे लागू करने से पहले और

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार। द बार ऑफ

धारा 9 (3) वहाँ संचालित होती है जहाँ धारा 9 (1) के तहत आवेदन पर मध्यस्थ के गठन तक विचार नहीं किया गया था।

न्यायाधिकरण। बेशक यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही धारा 9 के तहत एक आवेदन पर विचार किया गया था

न्यायाधिकरण का गठन, न्यायालय के पास हमेशा पक्षकारों को निर्देश देने का विवेकाधिकार होता है कि यदि आवश्यक हो तो अंतरिम संरक्षण का एक सीमित आदेश पारित करके मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संपर्क करें, विशेष रूप से जब सुनवाई और मध्यस्थता के बीच एक लंबा समय का अंतराल रहा हो। आवेदन को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नए सिरे से सुना जाना है, या सुनवाई अभी शुरू हुई है और इसमें बहुत समय लगने की संभावना है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय को निर्णय पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। [पैरा 107] [1055-डी-एफ] [2021] 5 एस।

एमेजॉन। एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अन्य। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 557; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर

शुद्धिकरण इंक (2013) 1 एससीसी 641: [2012] 13 एस. सी. आर. 402; विद्या द्रोलिया और अन्य। वी. दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एससीसी 1: 2021 (6) जे. टी. 460-पर भरोसा किया।

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। वी. एस. एन. गोयल (2008) 8

एससीसी 92 [2008] 7 एससीआर 631 एआईआर 2008 एससी 2594; दीप चंद और अन्य बनाम। भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य (1994) 4 एससीसी 99: [1994] 1 एससीआर 530 एआईआर 1994 एससी 1901; ए. वी. वेंकटेश्वरन, सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम। रामचंद शोभराज वाधवानी और अन्न एयर 1961 एससी 1506: [1962] एस. सी. आर. 753; मनभुपिंदर सिंह

अटवाल वी. नीरज कुमारपाल शाह 2019 जी. एल. एच. (3) 234; फर्म अशोक ट्रेडर्स एंड अन्न। वी. गुरुमुख दास सलूजा और अन्य (2004) 3 एस. सी. सी. 155 [2004] 1 एस. सी. आर. 404; लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम सहायक। आयुक्त बिक्री कर, कानपुर और अन्न। (1968) 1 एससीआर 505: ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 488; हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम पुन्नू साहू (1971) 3 एस. सी. सी. 124; मार्टिन एंड हैरिस लिमिटेड बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य (1998) 1 एस. सी. सी. 732: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 380; भारत संघ और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम

लिमिटेड (2015) 2 एससीसी 52: [2014] 13 एस. सी. आर. 1180-संदर्भित।

फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) v. रे इन्फ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 6765; अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1717-संदर्भित।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 7 एससीआर 631

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1962] एससीआर 753

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2004] 1 एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[1997] 6 पूरक। एससीआर 380

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एससीआर 1180

संदर्भित किया गया है

पै

रा 57

[2012] 13 एससीआर 402

उस पर भरोसा करें

रा 104

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5700

2021 से।

उच्च न्यायालय के 17.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 10492 में अहमदाबाद में गुजरात का

2021 .

द्रियस खंबाटा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मिहिर ठाकुर, मनु नायर, ऋषभ

गुप्ता, साईराम सुब्रमण्यम, सुश्री श्रेया गुप्ता, नीलाभ श्रीश, सुश्री.

जूही गुप्ता, सुश्री स्वागता घोष, सुश्री आर्किस्मिता राहा, सलोनी गुप्ता, एस.

एस. श्रॉफ, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, मुकल रोहतगी, सौरभ सोपारकर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश

मुखर्जी, राहिल पटेल, ऋषभ पारिख, कौस्तुभ राय, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में उठाए गए कानून का संक्षिप्त सवाल यह है कि क्या

न्यायालय के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 (1) के तहत एक आवेदन पर विचार करने की शक्ति है, जिसे इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद और यदि

>

तो, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) में "मनोरंजन" अभिव्यक्ति का सही अर्थ और उद्देश्य क्या है। अगला सवाल यह है कि क्या न्यायालय धारा 17, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत उपचार की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए बाध्य है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत आदेश पारित करने से पहले, एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है।

3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने एक समझौता किया

हजीरा बंदरगाह पर माल संभालने के लिए। उक्त कार्गो हैंडलिंग समझौते में समय-समय पर संशोधन किया गया था।

4. उक्त माल संचालन समझौते के अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है कि

कार्गो हैंडलिंग एग्रीमेंट से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अदालतों में निपटाया जाना था और पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाना था।

5. उक्त कार्गो हैंडलिंग समझौते के तहत विवाद और मतभेद उत्पन्न होने के बाद, अपीलार्थी ने 22 नवंबर 2020 को मध्यस्थता की सूचना द्वारा मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता के नोटिस का जवाब नहीं दिया।

6. अपीलार्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत अहमदाबाद। 30 दिसंबर, 2020 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता के नोटिस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं थे और आगे यह तर्क देते हुए कि 24 दिसंबर, 2020 तक अपीलार्थी द्वारा देय और देय कुल राशि थी

रु. 673.84 करोड़ रुपये के ब्याज सहित। 51.11 करोड़।

7. 15 जनवरी, 2021 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने 2021 के वाणिज्यिक नागरिक विविध आवेदन संख्या 2 के तहत एक आवेदन दायर किया। वाणिज्यिक न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 और सूरत में 12 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायालय। 16 मार्च 2021 को, प्रतिवादी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय में 2021 का वाणिज्यिक नागरिक विविध आवेदन No.99 के रूप में एक आवेदन भी दायर किया।

8. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 सुविधा के लिए नीचे दी गई है:

" 9. न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, आदि (1) एक पक्ष, इससे पहले

या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय लेकिन इसके अनुसार लागू होने से पहले

धारा 36 के साथ, न्यायालय में आवेदन करें

(i) मध्यस्थता कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए;

या आरसीईएलओआर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

((ii) इनमें से किसी के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए

(क) किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते के विषय हैं;

(ख) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना; (ग) किसी भी संपत्ति का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण।

या वह वस्तु जो विवाद का विषय है

मध्यस्थता, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।

किसी के अधिकार में किसी भूमि या भवन में प्रवेश करना।

पक्षकार, या किसी भी नमूने को लेने के लिए अधिकृत करना या कोई

किए जाने वाले अवलोकन, या प्रयास किए जाने वाले प्रयोग, जो हो सकता है

पूर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन होना

जानकारी या सबूत;

(घ) अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति; (ई) संरक्षण के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो दिखाई दे सकते हैं

न्यायालय को न्यायपूर्ण और सुविधाजनक होने के लिए,

और न्यायालय के पास आदेश देने की समान शक्ति होगी।

जैसा कि किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए और उसके संबंध में है।

उससे पहले।

(2) जहाँ, मध्यस्थता शुरू होने से पहले

कार्यवाहियों में, एक न्यायालय उप-धारा (1) के तहत संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए एक आदेश पारित करता है, मध्यस्थता कार्यवाही नौ दिनों की अवधि के भीतर शुरू की जाएगी

निर्धारित कर सकते हैं। (3) एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय

उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा,

जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाता कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो नहीं हो सकती हैं

धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी बनाना।

9. मूल रूप से अधिनियमित धारा 9 को 23 अक्टूबर 2015 से मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम (का अधिनियम 3) द्वारा धारा के रूप में पुनर्नामित किया गया है। उक्त 2015 का संशोधननिगमित उप-धारा (2) और उप-धारा (3) ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई है।

10. उक्त 2015 के अधिनियम और प्रवर्तन से पहले

धारा 17 में कहा गया हैः

आदेशित उपाय के संबंध में उचित सुरक्षा उप-धारा (1) के तहत।

11. उक्त 2015 के संशोधन के अधिनियमन के बाद, धारा 17

:

" 17. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय। - (1) ए.

पक्षकार, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, के लिए आवेदन कर सकता है

या ((ii) इनमें से किसी के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए

निम्नलिखित मामले, अर्थात्

(ख) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना;
(ग) किसी संपत्ति या वस्तु का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण जो विवाद का विषय है।

मध्यस्थता, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी पक्ष के कब्जे में किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना, या किसी भी नमूने को लेने के लिए अधिकृत करना, या कोई अवलोकन किया जाना, या प्रयोग किया जाना, जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता हैः

(घ) अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति; (
ई) संरक्षण के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो दिखाई दे सकते हैं।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को न्यायसंगत और सुविधाजनक होने के लिए,

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो न्यायालय के पास उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(2) धारा के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन

37 , इस धारा के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय का आदेश माना जाएगा।

और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रवर्तनीय होगा, 1908 (5 1908 का), उसी तरीके से जैसे कि यह एक आदेश था

अदालत "।

12. वाणिज्यिक न्यायालय और 12 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,

सूरत के जिला और सत्र न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत क्रमशः अपीलार्थी और प्रतिवादी द्वारा दायर दोनों आवेदनों पर सुनवाई की और 7 जून, 2021 को आदेशों के लिए उन्हें सुरक्षित रखा।

13. 9 जुलाई 2021 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन का निपटारा किया गया।

तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जिसमें इस न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करता है।

14. 16 जुलाई 2021 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने वाणिज्यिक नागरिक विविध आवेदन संख्या 2 के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया।

2021 , मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत क्रमशः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा दायर दोनों आवेदनों को विद्वान न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रार्थना करना।

15. अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन का पैराग्राफ 3 सुविधा के लिए नीचे दिया गया है।

" 3. मैं कहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस माननीय न्यायालय ने ए. एम. एन. एस. याचिका और ई. बी. टी. एल. याचिका पर व्यापक रूप से सुनवाई की थी, और याचिकाओं को आदेशों की घोषणा के लिए सुरक्षित रखा था। आदेशों की घोषणा के लिए मामले 20 जुलाई 2021 को सूचीबद्ध किए गए हैं।

16. 16 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। वाणिज्यिक न्यायालय ने हालांकि अपीलार्थी को वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए 10 दिनों का समय दिया, यदि वह ऐसा चाहता है।

17. अपीलार्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत गुजरात उच्च न्यायालय में 2021 का आर/विशेष नागरिक आवेदन No.10492 के रूप में एक आवेदन दायर किया। 18. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उक्त आवेदन की सुनवाई उच्च

न्यायालय की एक खंड पीठ ने की थी और अंतिम दलीलों के लिए शीर्ष अदालत की रिपोर्ट को सूचीबद्ध किया गया था

21] 5 एस सी आर।

2 अगस्त, 2021 को। इस बीच, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदनों में आदेशों की घोषणा को 9 अगस्त, 2021 तक स्थगित करने का निर्देश दिया।

19. 5 अगस्त 2021 को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन पर फिर से सुनवाई की गई और 9 अगस्त को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा गया।

2011. वाणिज्यिक न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए दोनों आवेदनों में आदेशों की घोषणा को 31 अगस्त, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया।

20. इस बीच, 17 अगस्त, 2021 के एक आदेश द्वारा, जो इस अपील में विवादित है, उच्च न्यायालय ने दायर आवेदन को खारिज कर दिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपीलकर्ता द्वारा, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने की शक्ति है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत उपचार अप्रभावी है और पारित करना आवश्यक है

उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेश। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 24. हमारे सामने की गई दलीलों के साथ-साथ दोनों पक्षों द्वारा हमारे सामने उद्धृत निर्णयों पर विचार करते हुए, हालांकि विद्वत निचली अदालत ने खारिज करने के लिए उचित कारण नहीं दिए हैं

याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन, निचली अदालत ने

प्रार्थना न करने में कोई त्रुटि नहीं की जिसके लिए प्रार्थना की गई थी

2021 के सी. एम. ए. संख्या 2 में दायर अंतरिम आवेदन में याचिकाकर्ता। हमारी राय में निचली अदालत को की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए धारा 9 के तहत दोनों आवेदनों पर आदेश देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हमारे द्वारा इस निर्णय में और ध्यान में रखते हुए

अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधान।

21. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डेरियस खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3), जैसा कि संशोधित किया गया है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन पर विचार करने की न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित करती है। 22. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किए जाने के बाद, वाणिज्यिक न्यायालय आगे नहीं बढ़ सकता है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन।

23. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) को शामिल करने का उद्देश्य न्यायालय की भूमिका को कम करना था। यहाँ तक कि

यद्यपि धारा 9 (3) धारा 9 (1) के अधीन न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करती है, यह एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद न्यायालय की भूमिका को प्रतिबंधित करती है। एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद, न्यायालय आर्केलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड होता है।

वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह न पाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उपचार प्रदान कर सकती हैं।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत अप्रभावी।

24. श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही माना कि वाणिज्यिक न्यायालय ने 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ लगाने में गलती की थी

संक्षेप में, यह देखते हुए कि मनोरंजन का अर्थ विचार के लिए स्वीकार करना नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ होगा अपने अंतिम निर्णय और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने तक की पूरी प्रक्रिया। 25. श्री खंबाटा ने अगस्त 2014 की विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख किया कि धारा को शामिल किया गया है।

9 (3) " मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अंतरिम उपायों के अनुदान के संबंध में न्यायालय की भूमिका को कम करने का प्रयास करता है। श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि यह 2006 में संशोधित UNCITRAL मॉडल कानून की भावना भी प्रतीत होती है। तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को न्यायालय के समान शक्तियां प्रदान करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया गया है।

26. श्री खंबाटा ने माननीय न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की 30 जुलाई, 2017 की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें धारा 9 (3) को शामिल करने का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि "2015 के संशोधन, दो महत्वपूर्ण मामलों में, मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत देते हैं। सबसे पहले,

न्यायमूर्ति नरीमन के माध्यम से अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 9 (3) को लागू करने का उद्देश्य "दो अच्छे कारणों से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किए जाने पर धारा 9 याचिकाओं से न्यायालयों को भर जाने से रोकना था-(i) कि बाधित न्यायालय प्रणाली को भीड़भाड़ से मुक्त किया जाना चाहिए, और (ii) कि एक बार गठित होने के बाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण समय पर और प्रभावी तरीके से अंतरिम राहत देने में सक्षम होगा।" 28. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि अदालतों पर बोझ को कम करने के लिए धारा 9 (3) लागू की गई है। इसलिए, धारा 9 (3) का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 557 [2021] 5 एस. सी. आर.

धारा 9 (3) के अधिदेश को उद्देश्यपूर्ण और विफल करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

29. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि धारा 9 (3) नकारात्मक कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ का एक उपाय था। यह प्रमाणित किया जाता है कि

धारा 17 (2) का संगत परिचय जो धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को और अधिक प्रभावकारिता और प्रवर्तनीयता प्रदान करता है। श्री खंबाटा ने आगे तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि एक अदालत

निर्णय के उच्चारण, संकेत और तिथियों के बाद ही यह कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। किसी निर्णय को सुरक्षित रखने के बाद केवल उसका आदेश देना, निर्णय की घोषणा नहीं है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में श्री खंबाटा ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य का हवाला दिया। वी. एस. एन. गोयल 2.

30. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि इस तथ्य का कि आदेश सुरक्षित है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिला न्यायालय ने धारा 9 की याचिकाओं पर विचार करना बंद कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक का उल्लेख करते हुए v. एस. एन. गोयल (ऊपर), श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि एक न्यायाधीश किसी निर्णय में सुधार कर सकता है और/या दूसरे शब्दों में निर्णय देना जारी रख सकता है और इस प्रकार निर्णय सुनाए जाने के बाद भी कार्यवाही पर विचार करना जारी रख सकता है, जब तक कि उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। 31. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि इस मामले में वाणिज्यिक न्यायालय ने धारा 9 के आवेदनों में अपने आदेश पारित नहीं किए थे। यह भी नहीं था

अपने आदेशों की घोषणा की। इस प्रकार, विवादित आदेश की तारीख तक, वाणिज्यिक न्यायालय धारा 9 के आवेदनों पर विचार कर रहा था। आज भी वाणिज्यिक न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदनों पर विचार कर रहा है। तथ्य यह है कि 7 जून 2021 को आदेश सुरक्षित रखे गए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वाणिज्यिक न्यायालय ने उक्त याचिकाओं पर विचार करना बंद कर दिया।

32. दीप चंद और ओआरएस वी का उल्लेख करते हुए। भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य 3, श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि "न्यायनिर्णयन" शब्द का अर्थ है "। .....न्यायालय में औपचारिक रूप से निर्णय या डिक्री देना या सुनाना

"और इसका तात्पर्य न्यायालय द्वारा सुनवाई से है। इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) में "मनोरंजन" शब्द की व्याख्या "न्यायनिर्णायक" के रूप में की जानी चाहिए और इसका तात्पर्य आदेश और/या निर्णय पारित करना है।

33. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि खंड में "मनोरंजन" शब्द है।

9 (3) मध्यस्थता की धारा 9 (1) के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए।

एक्ट करें। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) में "बनाने" का प्रावधान है। 2 (2008) 8 एससीसी 92: ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2594 3 3 (1994) 4 एस. सी. सी. 99:

एयर 1994 एससी 1901 आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान किया गया निर्माण अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि करता है कि इसका अर्थ अनिवार्य रूप से धारा 9 (1) के तहत आदेश देने के कार्य सहित सभी कार्य होंगे।

अधिनियम।

34. श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि जबकि प्रत्यर्थी के नामित मध्यस्थ ने नाम वापस ले लिया है, प्रत्यर्थी ने एक नया नामित नहीं किया है

मध्यस्थ। एक नए मध्यस्थ को नामित करने के बजाय, प्रतिवादी ने वाणिज्यिक न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण काम नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष उपचार अप्रभावी होगा। इस न्यायालय में भी यही निवेदन दिया गया है।

35. ए. वी. वेंकटेश्वरन, सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। रामचंद शोभराज वाधवानी और

आनआर, श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि एक पक्ष किसी उपाय की अक्षमता का आरोप नहीं लगा सकता है जब वह पक्ष उपचार का लाभ उठाने से खुद को अक्षम कर देता है।

36. श्री खंबाटा ने मानभूपिंदर सिंह अटवाल बनाम का भी हवाला दिया।

नीरज कुमारपाल शाह ', जहाँ गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पक्ष जो जानबूझकर धारा 17 के तहत उपचार को अप्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए धारा 9 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा दिया जा सकता है। श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण से बचने का प्रत्यर्थी का इरादा पूरी तरह से स्पष्ट है।

37. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि भले ही धारा 11 की कार्यवाही को अंततः सर्वसम्मति से निपटाया गया था, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति में प्रतिवादी के आचरण के कारण देरी हुई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा नोटिस जारी करने के बाद

22 नवंबर, 2020 को मध्यस्थता, और प्रत्यर्थी से आह्वान किया कि -

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (4) (ए) में अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया।

38. श्री खंबाटा ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने 16 मार्च, 2021 को वाणिज्यिक न्यायालय में अपीलार्थी के धारा 9 के आवेदन पर अपनी आपत्ति दर्ज की और उसके खिलाफ अन्य कार्यवाही भी शुरू की।

अपीलार्थी। हालाँकि, प्रतिवादी ने जवाब दाखिल करने से इनकार कर दिया

4 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1506 (पैरा 11) 5 2019 जी. एल. एच. (3) 234 (पैरा 6.1 से 6.3)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका। धारा 9 के तहत आवेदनों की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रत्यर्थी ने 7 जून, 2021 को देर से जवाब दाखिल किया।

39. श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 9 का आह्वान करने वाले पक्ष को मध्यस्थता के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। श्री खंबाटा ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में अशोक ट्रेडर्स फर्म का हवाला दिया

और एन. आर. वी. गुरुमुख दास सलूजा और Ors.6। श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने स्वयं स्थानापन्न मध्यस्थ के नामांकन में देरी की थी, लेकिन अब वह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत उपचार की प्रभावहीनता की याचिका ले रहा है।

40. श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदनों में आदेश पारित करने का निर्देश देने में गलती की थी, इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी पक्ष ने मध्यस्थता कार्यवाही की प्रभावशीलता को चुनौती देते हुए वाणिज्यिक न्यायालय में कोई आवेदन दायर नहीं किया था। श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) की उच्च न्यायालय की व्याख्या इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए प्रचलित कानून के अनुसार है।

41. श्री खंबाटा ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी (ब्रायन ए. गार्नर, 8 वां संस्करण, 2004) में "मनोरंजन" के अर्थ का उल्लेख किया है, जो "ध्यान में रखना या" न्यायिक विचार देना "है। श्री खंबाटा भी

श्री में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया। तुफान चटर्जी बनाम। श्री. 'रंगन धर', हममें से एक द्वारा लिखित, (इंदिरा बनर्जी, जे.)। तुफान चटर्जी (ऊपर) में, "मनोरंजन" शब्द की व्याख्या "योग्यता के आधार पर एक आवेदन पर विचार करना, यहां तक कि अंतिम चरण में भी" के रूप में की गई थी। श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में "मनोरंजन" शब्द की व्याख्या, तुफान चटर्जी (सुप्रा) में अभिव्यक्ति की व्याख्या के अनुरूप है।

42. श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम। टीआरएफ लिमिटेड, हम में से एक (इंदिरा बनर्जी, जे) द्वारा लिखित

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद, अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर आम तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अदालत केवल धारा 9 के तहत अंतरिम राहत दे सकती है, अगर ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत उपचार को प्रभावी नहीं बना सकती हैं। 6 (2004) 3 एस. सी. सी. 155 72016 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 483 (पैरा 35,43) 8 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6560 (पैरा 34)

आर्केलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

43. एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम टीआरएफ लिमिटेड

(ऊपर), दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोट किया कि न्यायाधिकरण गैर-कार्यात्मक था क्योंकि अपीलार्थी के नामित मध्यस्थ के खिलाफ चुनौती थी लंबित है और उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता की कार्यवाही पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक कि चुनौती की कार्यवाही का फैसला नहीं हो जाता। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय धारा 9 के तहत आदेश पारित कर सकता है क्योंकि धारा 17 के तहत उपचार अप्रभावी था।

44. श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि लक्ष्मी रतन में

' 'मनोरंजन' का अर्थ होगा योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के उद्देश्य से निर्णय लेना और विचार करना। उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में, श्री खंबाटा ने हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम पुन्नू साहू, मार्टिन एंड हैरिस लिमिटेड बनाम छठवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य का भी हवाला दिया। 45. अंत में श्री खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय को धारा 9 के तहत याचिकाओं में आदेश पारित करने का निर्देश देने में गलती की थी, भले ही उसने 'मनोरंजन' शब्द की व्याख्या "अपने अंतिम निर्णय और गुण-दोष पर आदेश पारित करने तक के पूरे सरगम" के रूप में की थी। श्री खंबाटा ने तर्क दिया कि, यह देखते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय ने 'मनोरंजन' की संक्षिप्त व्याख्या करने में गलती की थी और

यह भी कि विवादित आदेश की तारीख को जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की प्रभावशीलता को कोई चुनौती नहीं थी, उच्च न्यायालय ने

न्यायालय को वाणिज्यिक न्यायालय को आदेश पारित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।

46. प्रत्यर्थी की ओर से श्री कपिल सिब्बल उपस्थित हुए

प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न कि क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) क्रमशः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा दायर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत उपरोक्त दो आवेदनों के संबंध में लागू होगी, का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए क्योंकि आवेदनों को अंततः गुण-दोष के आधार पर सुना गया था और इसके लिए आरक्षित किया गया था।

9 (1968) 1 एस. सी. आर. 505 (पैरा 9): ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 488 10 ए. आई. आर. 1962 सभी 547 (पैरा 7) 11 (1971) 3 एस. सी. सी. 124 12 (1998) 1 एस. सी. सी. 732 (पारस 8-10)

21] 5 एस सी आर।

47. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि गुजरात उच्च न्यायालय में दायर अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन निम्नलिखित कारणों से विचारणीय नहीं थाः

मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है जो प्रदान करता है

((i)

विभिन्न चरणों में अपील का अधिकार, अनुच्छेद 227 को मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई पक्ष या तो उपचार से वंचित रह जाए या जहां स्पष्ट रूप से बुरा विश्वास हो।

दिखाया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन

((ख)

जहां निचली अदालत ने अपने अधिकार की सीमा से बाहर, अधिकार क्षेत्र के बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है, या यदि आदेश पेटेंट विकृति से ग्रस्त है।

अनुच्छेद के तहत गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन

(iii)

227 समय से पहले और अटकलबाजी थी, क्योंकि का मुद्दा क्या विचारण न्यायालय ने "अपने अधिकार की सीमा से बाहर" या "अधिकार क्षेत्र के बिना" कार्य किया था या क्या आदेश

"पेटेंट विकृति" से पीड़ित, धारा 9 आवेदनों में ट्रायल कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किए जाने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता था।

48. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) में प्रावधान है कि एक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, उसके दौरान या बाद में अदालत में आवेदन करेगा। इसलिए न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन पर अधिकार क्षेत्र नहीं खोते हैं।

49. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) न तो एक गैर-अड़चन खंड है और न ही एक निष्कासन खंड है, जो

अदालतें गैर-न्यायिक हैं, संविधान के तुरंत बाद

मध्यस्थ न्यायाधिकरण।

50. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि नियंत्रण और संतुलन के अधीन

मध्यस्थता अधिनियम के तहत ही, एक न्यायालय के पास धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने की शक्तियां बनी रहेंगी। अपने तर्क के समर्थन में श्री सिब्बल ने बेनारा बियरिंग्स मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया

और पिस्टन लिमिटेड v. माहले इंजन कम्पोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1.3 और एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड v. टीआरएफ लिमिटेड (ऊपर)।

51. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) अदालत को धारा 9 के तहत एक आवेदन पर "विचार" करने से रोकती है।

13 (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7226 (पारस 24-25)

आर्केलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद न हों जो धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी न बना सकें। इस मामले में, केवल औपचारिकता धारा 9 आवेदनों में आदेश का उच्चारण करना बाकी रहा। चूंकि धारा 9 के तहत आवेदन पर विचार किया गया था, इसलिए पूरी तरह से सुना गया और

तर्कों ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) लागू नहीं होगी।

सराफ वी। नंबूदास एस/ओ शंकरलाल और ओआरएस "। और कुंदनलाल बनाम। जगन नाथ शर्मा (ऊपर)। 53. श्री कपिल सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि क्या किसी मामले को पहले ही "विचार में लिया जा चुका है", यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या निचली अदालत ने संबंधित पक्षों द्वारा दायर धारा 9 के आवेदनों पर विचार किया था और अपना दिमाग लगाया था, और इसलिए, धारा 9 के आवेदन "मनोरंजन" के स्तर को पार कर गए थे, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत विचार किया गया था। श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलती से कहा हैः

" धारा 9 की उप-धारा (3) में आने वाले 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ केवल किसी मामले को विचार के लिए स्वीकार करना नहीं होगा, बल्कि इसमें निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया भी शामिल है, अर्थात,

अंतिम आदेश का पारित होना। "

54. श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा 16 जुलाई, 2021 को दायर आवेदन में की गई प्रार्थना को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। श्री. सिब्बल ने बताया कि अपीलकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत दोनों आवेदनों में उल्लिखित पक्षों के बीच सभी विवादों को निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने के आदेश की मांग की। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम ने न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत एक लंबित आवेदन को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को हटाने या स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान नहीं की, जिस समय एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

55. श्री सिब्बल ने कहा कि इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और इसे रोकने का प्रयास था।

सक्षम न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन में आदेश पारित करने से, जिसकी पूरी तरह से सुनवाई की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अभिव्यक्ति "मनोरंजन" की व्याख्या के रूप में प्रचार किया गया है

अपीलार्थी, को बरकरार रखा गया था, यह एक बाढ़ द्वार खोलेगा, जहां वादी जो किसी अन्य पक्ष को तत्काल राहत से इनकार करना चाहते थे, प्रक्रियात्मक बचाव करके मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाएंगे और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत विधायी उपाय से बचेंगे।

56. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि धारा 9 का विरोध करने में पक्षों का बहुत सारा न्यायिक समय, लागत और संसाधन खर्च किए गए हैं।

आवेदन। दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया था और धारा 9 के आवेदनों में दलीलें 2,200 पृष्ठों से अधिक थीं। धारा 9 आवेदनों को वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष 36 बार सूचीबद्ध किया गया था और अंत में पूरे 11 दिनों के लिए व्यापक रूप से बहस की गई थी। धारा 9 के आवेदन 7 जून, 2021 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले आदेशों के लिए आरक्षित किए गए थे।

वाणिज्यिक न्यायालय में अपने धारा 9 आवेदन में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विवादों के अनुरूप नहीं था। नोटिस में उठाए गए विवादों की मध्यस्थता का सवाल अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है। 61. श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने के लिए अपीलार्थी के संपर्क में था। अंत में

पक्षों ने तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण बनाने पर सहमति व्यक्त की। 25 अगस्त, 2021 को न्यायमूर्ति जी. टी. नानावती (सेवानिवृत्त) ने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि

15 (2015) 2 एस. सी. सी. 52 (पारस 14-17)

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

स्वास्थ्य, जिसके बाद कोई कार्यात्मक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के इस्तीफा देने के बाद भी, प्रत्यर्थी ने तुरंत स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी, और अपीलार्थी को 27.08.2021 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया।

62. श्री खंबाटा द्वारा उद्धृत निर्णयों को अलग करते हुए, श्री सिब्बल ने जोर देकर तर्क दिया कि संविधान की धारा 9 (3) में "मनोरंजन" शब्द है।

63. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1), जैसा कि संशोधित किया गया है, मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष को मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान, या एक पुरस्कार दिए जाने और प्रकाशित होने के बाद किसी भी समय, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार पुरस्कार लागू होने से पहले, सुरक्षा के अंतरिम उपायों के लिए अदालत में आवेदन करने में सक्षम बनाती है। 64. इस प्रकार सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत एक आवेदन को स्वीकार करने, उस पर विचार करने और निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, किसी भी समय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार लागू होने से पहले।

65. हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3), जिस पर श्री खंबाटा और दोनों ने बहुत जोर दिया है।

श्री कपिल सिब्बल ने यह प्रावधान किया है कि एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाता कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकती हैं। 66. धारा 9 की उप-धारा (3) के दो अंग हैं। पहला अंग उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार करने से रोकता है।

एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा अंग उस निषेध के लिए एक अपवाद बनाता है, यदि न्यायालय को ऐसी परिस्थितियाँ मिलती हैं। जो धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकते हैं।

67. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत अदालतों में अंतरिम उपायों के लिए आवेदन दायर करने को हतोत्साहित करने के लिए, धारा 17 में भी संशोधन किया गया है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को धारा 9 (1) के तहत अदालत की तरह ही अंतरिम उपाय करने की समान शक्तियां प्रदान की जा सकें। 2015 का संशोधन एक काल्पनिक कल्पना भी प्रस्तुत करता है, जिसके तहत एक आदेश पारित किया जाता है।

धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय का आदेश माना जाता है और न्यायालय के आदेश के रूप में लागू किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. कानून के साथ जैसा कि आज है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अंतरिम राहत देने की उतनी ही शक्ति है जितनी अदालत और इसके तहत उपचार धारा 17 उतनी ही प्रभावी है जितनी धारा 9 (1) के तहत उपाय। इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद और पक्षकारों के बीच विवाद की स्थिति में होने के बाद भी न्यायालय को अंतरिम राहत के लिए आवेदन लेना जारी रखना चाहिए, जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करने में कोई बाधा न हो, या मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मांगी गई अंतरिम राहत शीघ्रता से प्राप्त नहीं की जा सकती।

69. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य में रखे गए प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है। वी. एस. एन. गोयल (ऊपर), कि जब कोई निर्णय सुरक्षित रहता है, तो केवल आदेश देना घोषणा के बराबर नहीं होता है। जब एक निर्णय खुले न्यायालय में निर्धारित किया जाता है, तो यह घोषणा के बराबर होता है। एक निर्णय जो खुले न्यायालय में निर्धारित नहीं किया जाता है, उसे खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए। घोषणा के बाद भी, न्यायाधीश निर्णय पर हस्ताक्षर करने और तारीख तय करने से पहले सुधार कर सकता है। एक बार जब कोई न्यायाधीश निर्णय सुनाता है, हस्ताक्षर करता है और तारीख तय करता है, तो वह कार्यवाहक अधिकारी बन जाता है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून। वी. एस. एन. गोयल (ऊपर) इस मामले में आकर्षित नहीं हैं। निर्णय "मनोरंजन" अभिव्यक्ति की व्याख्या या व्याख्या नहीं करता है।

70. दीप चंद और ओआरएस वी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी (ऊपर),

श्री खंबाटा द्वारा उद्धृत, प्रश्न यह था कि क्या इसके तहत आपत्तियाँ हैं अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 49, आधार पर

कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित संपत्ति केवल घर, कारखाने या भवन का हिस्सा थी, यह एक निर्णय के बराबर है।

71. इस न्यायालय ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) का उल्लेख किया जहां "न्यायनिर्णयन" को नीचे परिभाषित किया गया है:

" निर्णय। - किसी विवाद को हल करने की कानूनी प्रक्रिया। अदालती कार्यवाही में औपचारिक रूप से निर्णय या डिक्री देना या सुनाना; निर्णय या निर्णय भी दिया जाता है। एक मामले में पक्षों के संबंध में एक अदालत द्वारा एक डिक्री की प्रविष्टि। इसका तात्पर्य कानूनी साक्ष्य के नोटिस के बाद अदालत द्वारा सुनवाई करना है।

इसमें शामिल तथ्यात्मक मुद्दों पर "।

72. इस न्यायालय ने पाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 49 को पढ़ने से पता चलता है कि भूमि के मालिक को किसी भी घर, कारखाने या अन्य भवन के हिस्से के अधिग्रहण पर आपत्ति करने का अधिकार दिया गया था। धारा 49 (1) के तहत किसी घर, कारखाने या भवन के केवल एक हिस्से के अधिग्रहण पर आपत्ति पर निर्णय एक आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड के बराबर नहीं होगा।

वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

73. ए. वी. वेंकटेश्वरन के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम रामचंद शोभराज वाधवानी और अन्र। (ऊपर दिया गया है) कि कोई पक्ष किसी उपचार की अक्षमता का आरोप नहीं लगा सकता है जब वह पक्ष उपचार का लाभ उठाने से खुद को अक्षम कर देता है। 74. मानभूपिंदर सिंह अटवाल बनाम में निर्णय। नीरज कुमारपाल शाह (ऊपर) को तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था

उस मामले में जहां धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, लेकिन जिस पक्ष के खिलाफ राहत मांगी गई थी, उसने मध्यस्थों के खिलाफ पक्षपात और अनुचितता के खुले, आधारहीन आरोप और आक्षेप लगाने में लिप्त होकर कार्यवाही को आगे बढ़ाया और उसके बाद धारा 17 के तहत उपचार की अक्षमता का मामला बनाने के लिए मध्यस्थों के खिलाफ कथित निष्क्रियता के आरोप लगाए। इस मामले में फैसले को लागू करने का कोई तरीका नहीं है।

75. इस मामले में यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी की ओर से कोई चूक या अड़चनें थीं, जिससे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन में देरी हुई। यह आरोप कि प्रतिवादी ने धारा 17 के तहत उपचार का लाभ उठाने से खुद को अक्षम कर लिया था, अप्रमाणित है। इसके अलावा, मध्यस्थ से सहमत होने में केवल देरी किसी पक्ष को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत राहत से वंचित नहीं करती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 स्वयं के मामले में एक उपाय प्रदान करती है

मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष को मध्यस्थ नियुक्त करने में देरी। 76. श्री खंबाटा ने ठीक ही कहा कि अधिनियम की धारा 9 का आह्वान करने वाले पक्ष को मध्यस्थता के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। कानून.

फर्म अशोक ट्रेडर्स एंड अन्र में वर्णित। वी. गुरुमुख दास सलूजा और अन्य। (सुप्रा) अच्छी तरह से व्यवस्थित है। इस मामले में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है।

77. जैसा कि श्री सिब्बल ने तुफान चटर्जी (उपरोक्त) मामले में तर्क दिया था कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की मांग करने वाला आवेदक

उन्होंने संशोधन अधिनियम (2016 का अधिनियम 3) की धारा 26 का उल्लेख किया था और तर्क दिया था कि 2015 का संशोधन 2015 के संशोधन के लागू होने पर लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

78. यह भी तर्क दिया गया कि 2015 के संशोधन के लागू होने से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई थी और/या दूसरे शब्दों में,

79. उच्च न्यायालय ने न्यायालय की कार्यवाही को मध्यस्थता की कार्यवाही से अलग किया और कहा कि 2015 का संशोधन न्यायालय पर लागू होगा कार्यवाही। उच्च न्यायालय ने धारा 9 के तहत आवेदक के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुदान देने में सक्षम नहीं था

2015 के संशोधन से पहले मध्यस्थ कार्यवाही के रूप में धारा 17 के तहत राहत शुरू हो गई थी।

80. तुफान चटर्जी (ऊपर) में निर्णय जिला न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ एक अपील में दिया गया था, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। यह अवलोकन कि चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई थी, इसलिए न्यायालय अब 1996 के अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत एक आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं था। उच्च न्यायालय ने मनोरंजन अभिव्यक्ति की व्याख्या की और कहाः

" 35. हालाँकि, जैसा कि श्री भट्टाचार्य ने सही तर्क दिया है, 'संस्थान' और 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति के बीच अंतर है। 'संस्थान' अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति का पर्याय नहीं है। मार्टिन एंड हैरिस लिमिटेड बनाम। 6श्री भट्टाचार्य द्वारा उद्धृत (1998) 1 एस. सी. सी. 732 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यू. पी. शहरी भवनों के खंड 21 (1) (ए) में 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति की व्याख्या की।

बेदखली) अधिनियम, 1972 का अर्थ है योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विचार के लिए आधार का मनोरंजन करना, न कि उससे पहले के किसी चरण का। सीमा अधिनियम के विपरीत, जो

सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद मुकदमे की स्थापना पर रोक लगाती है, धारा 26 अदालत को धारा 9 के तहत एक आवेदन पर विचार करने से रोकती है, सिवाय परिस्थितियों के आरसीईएलओआर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड।

वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

धारा 9 (3) में विनिर्दिष्ट, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है

योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करना, यहां तक कि अंतिम चरण में भी।

36. 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन के बाद, दायरा

धारा 17 का काफी विस्तार किया गया है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को स्पष्ट रूप से धारा 9 के तहत न्यायालय के समान शक्ति प्रदान की गई है। धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण का एक आदेश भी उसी तरीके से लागू करने योग्य है जैसे कि सिविल के प्रावधानों के तहत धारा 9 के तहत न्यायालय

प्रक्रिया संहिता "।

81. उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए आवेदन में आधार पर धारा 9 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले आई. सी. टी. न्यायालय के आदेश की अपील को खारिज कर दिया।आरएएल ट्रिब्यूनल।

82. एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम। टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) लाल हम में से एक (इंदिरा बनर्जी, जे.), दिल्ली की एक खंड पीठ

अदालत ने कहाः

" 27. 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 1996 के अधिनियम की धारा 9 (3) के साथ धारा 9 (1) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 9 (3) को शामिल करके 1996 के अधिनियम में संशोधन के बाद भी, न्यायालय को अंतरिम राहत देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है।

न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। 28. जब अंतरिम राहत के लिए कोई आवेदन होता है

धारा 9, न्यायालय को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या आवेदक के पास प्राप्त करने की धारा 17 के तहत कोई प्रभावी उपाय है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण से तत्काल अंतरिम राहत। एक बार जब अदालत को पता चलता है कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो शायद काम न आएँ

1996 के अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किया गया उपाय

प्रभावी, न्यायालय के पास एक पर विचार करने का विवेकाधिकार है

अंतरिम राहत के लिए आवेदन। भले ही एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक संक्षिप्त अवधि के लिए कार्य नहीं कर रहा हो, तत्काल अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए

1996 के अधिनियम की धारा 9।

29. यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि यदि तथ्य और

एक मामले की परिस्थितियों में एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एक बार न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर विचार और जांच की जानी चाहिए।

पता चलता है कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं

उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किया गया उपाय प्रभावी है।
30. हमारे विचार में, लर्नड सिंगल बेंच ने स्पष्ट रूप से गलती की

वहाँ कोई बाधा या स्थिति नहीं है जहाँ उपचार

अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रभावी नहीं है। सीखा हुआ

एकल पीठ यह समझने में विफल रही कि एक की विचाराधीनता

विशेष अनुमति याचिका जिसमें मध्यस्थ का गठन

न्यायाधिकरण चुनौती के दायरे में था, अपने आप में एक परिस्थिति थी
जिसने धारा 17 के तहत पक्षों का उपचार प्रदान किया

अनिश्चित और प्रभावी नहीं।

XXX

X

XX

XXX

34. अंतरिम राहत के लिए आवेदन आम तौर पर होना चाहिए

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, एक बार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण है

गठित किया गया। हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो नहीं हो सकती हैं

1996 के अधिनियम की धारा 17 के तहत उपचार प्रदान करना।

प्रभावी, न्यायालय को अंतरिम के लिए अनुरोध पर विचार करना होगा
गुण-दोष पर राहत, और ऐसा आदेश पारित करें, जो न्यायालय समझे

उचित है।

35. लर्नड सिंगल बेंच ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है

क्या इसमें किसी अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता थी

मामला। बैंक गारंटी स्पष्ट रूप से बिना शर्त थी। में।

प्रभाव, अपीलार्थियों को एक आह्वान करने से रोक दिया गया है

बिना शर्त गारंटी। आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती है।

जब तक विशेष अनुमति याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। " 83. 2015 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद भी,

अंतरिम राहत के लिए आवेदन की धारा 9 के तहत अदालत में दायर किया जा सकता है

1996 अधिनियम, मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ से पहले, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या कोई पुरस्कार दिए जाने के बाद किसी भी समय, लेकिन इस तरह के पुरस्कार से पहले 1996 अधिनियम की धारा 36 के अनुसार लागू किया जाता है। न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या धारा 17 के तहत आवेदक के लिए उपलब्ध उपचार प्रभावी है। एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में।

वी. टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर), धारा 17 के तहत अंतरिम राहत का उपाय एक विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को देखते हुए अप्रभावी पाया गया था।

84. बनारा बियरिंग्स एंड पिस्टन्स लिमिटेड (ऊपर) में श्री.

सिब्बल, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, बदर के माध्यम से बोल रहे हैं

दुर्रेज़ अहमद जे. आयोजितः

आरसीईएलओआर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

" 24 ..... हमारा विचार है कि धारा 9 (3) काम नहीं करती है।

जहाँ तक न्यायालयों की शक्तियाँ हैं, एक निष्कासन खंड के रूप में

चिंतित हैं। यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि जब भी

जो धारा 9 के आवेदन को जब्त कर लिया जाता है, कोरम बन जाता है गैर न्यायसंगत, एक गंभीर शून्य पैदा करेगा क्योंकि कोई नहीं है

लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रावधान। सभी शक्तियाँ

न्यायालय मध्यस्थता से पहले, मध्यस्थता के दौरान अंतरिम उपाय करने के लिए

कार्यवाही या मध्यस्थता के निर्माण के बाद किसी भी समय

पुरस्कार लेकिन धारा के अनुसार इसके प्रवर्तन से पहले 36 जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) में निहित है, वे अक्षुण्ण हैं (और संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किए गए हैं)। इसके अलावा यह

ऐसा नहीं है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने

गठित किया गया है, न्यायालय एक आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत। धारा 9 (3) स्वयं यह प्रावधान करती है कि न्यायालय धारा 9 (1) के तहत एक आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह पाता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो

धारा 17 के तहत प्रदान किया गया उपचार प्रदान नहीं कर सकता है

प्रभावी।

25. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उक्त प्रावधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

अधिनियम जिसके लिए, एक अस्थायी उपाय के रूप में भी, न्यायालय की आवश्यकता होती है

धारा 9 (1) के लंबित आवेदन को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को उसी समय हस्तांतरित करना जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने

गठित किया गया "।

85. एम. अशरफ बनाम। कासिम V.K.¹a केरल की डिवीजन बेंच

आर. नारायण पिशारदी जे. के माध्यम से बोलते हुए अदालत ने कहाः

" 8. ..... निगमित करके अधिनियम में संशोधन के बाद भी

धारा 9 (3), न्यायालय को अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत अंतरिम राहत देने की शक्ति से वंचित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि मध्यस्थ

न्यायाधिकरण के गठन के बाद, न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण की धारा 9 (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

अधिनियम जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाता कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो

धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकते हैं।

आम तौर पर, न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। लेकिन,

न्यायालय के पास मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत एक आवेदन पर विचार करने की शक्ति है, जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाता है कि मामले की परिस्थितियों में पक्ष को अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रभावी उपाय मिला है। अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर विचार किया जाएगा और गुण-दोष के आधार पर जांच की जाएगी, एक बार जब न्यायालय को पता चलता है कि परिस्थितियां मौजूद हैं, जो अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रदान नहीं कर सकती हैं। प्रभावी "।

86. श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (सेफल) v. रे इन्फ्रा सीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड ए. एन. आर. " हम में से एक द्वारा लिखित (इंदिरा बनर्जी)

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित कियाः

" 5. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत-एक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय, लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले, अदालत में आवेदन कर सकता है।

अंतरिम राहत के लिए धारा 9 के तहत।

6. हमारे विचार में, विद्वान एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि धारा 9 के तहत लंबित आवेदन में आगे के आदेश की कोई गुंजाइश नहीं है। विद्वान एकल पीठ ने निरंतर उपयोग के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी ने चूक की है

किश्तें। समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी वित्तपोषक को कल्पित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का अधिकार है। 23 अक्टूबर, 2015 से 2015 के मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम के अधिनियमन के बाद, न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करना है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, एक बार मध्यस्थ

धारा 17 के तहत प्रभावी। 7.मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई समाप्त हो सकती है। हालाँकि, कार्यवाही अभी भी लंबित है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। यह संभव हो सकता है कि

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन। हालांकि सुस्त तरीके को देखते हुए जिसमें विद्वान मध्यस्थ को किया गया है

6) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 6765 आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अपीलार्थी के उपचार की कार्यवाही दिखाई नहीं देती है।

प्रभावी होना। संशोधन हाल के होने के कारण, लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के लिए संशोधित प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में कानून के जटिल मुद्दे भी उत्पन्न हो सकते हैं।

87. अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय की सीमित 1 8 ए एकल पीठ (सी. हरि शंकर जे.) ने अभिनिर्धारित कियाः

" 45. न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, निहित शक्तियों के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना होगा।

उसी अधिनियम की धारा 17 द्वारा मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण में। 1996 के अधिनियम की धारा 9 और धारा 17 को पढ़ने से पता चलता है कि वे समान रूप से शब्दबद्ध हैं। "अंतरिम"

धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने वाले उपाय वही हैं जो धारा 9 के तहत न्यायालय द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं। यही कारण है कि

कि धारा 9 की उप-धारा (3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अंतरिम उपायों के अनुदान को प्रतिबंधित करती है, सिवाय इसके कि जहां न्यायालय को ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जो धारा 17 के तहत उपचार को प्रभावी नहीं बना सकती हैं। न्यायालय, धारा 9 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता से पहले के स्तर पर भी, इसलिए उस अधिकारिता को हड़प नहीं सकता है जो -

अन्यथा, मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित किया जाए,

अभी तक गठित नहीं किया गया है।

} }

88. हम एकल पीठ द्वारा लिए गए विचार को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं

अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय

यह अवलोकन करते हुए कि "न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करते हुए

धारा 9, मध्यस्थता से पहले के चरण में भी, इस पर कब्जा नहीं कर सकती है -

अधिकारिता जो, अन्यथा, मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित होगी, जिसका गठन किया जाना बाकी है। धारा 9 (3) का प्रतिबंध एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद संचालित होता है। इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़पने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 17 का गठन किया गया है। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होना बाकी है तो न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। अदालत अंतरिम राहत देती है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, क्योंकि यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक ने प्रथम दृष्टया एक अच्छा मामला बनाया है, क्या सुविधा का लाभ राहत देने के पक्ष में है

नहीं, क्या आवेदक को इनकार करने से अपूरणीय क्षति होगी

एरीम राहत आदि।

89. लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (ऊपर) में

टी आयोजितः

" 9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक संभागीय पीठ द्वारा "मनोरंजन" शब्द की व्याख्या उस समय के रूप में की गई है जब बिक्री को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई की जाती है।

अदालत। यह कहा गया है कि "मनोरंजन" अभिव्यक्ति का अर्थ आवेदन दाखिल करने या अदालत द्वारा आवेदन को स्वीकार करने के समान नहीं है। इसी तरह का दृष्टिकोण फिर से धूम चंद जैन बनाम में लिया गया था। चमनलाल गुप्ता [ए. आई. आर. 1962 ऑल 543]

जिसमें विद्वान मुख्य न्यायाधीश देसाई और श्री जस्टिस

द्विवेदी ने "मनोरंजन" अभिव्यक्ति को वही अर्थ दिया। जे. द्विवेदी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इसके आवेदन में "मनोरंजन" शब्द का अर्थ "विचार को स्वीकार करना" है, और इसलिए जब अदालत कोई निर्णय लेने से इनकार नहीं कर सकती है।

आवेदन जो जमा या प्रतिभूति द्वारा समर्थित है, वह इस पर विचार करने के लिए न्यायिक रूप से इनकार नहीं कर सकता है। उसी अदालत के एकल पीठ के फैसले में पवन राम बनाम में रिपोर्ट की गई। कुंज बिहारीलाल [ए. आई. आर. 1961 सभी 42] हम में से एक (भार्गव, जे.) को एक ही नियम पर विचार करना पड़ा। वहाँ सीमा अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था और सवाल उठा था कि क्या अदालत आवेदन पर विचार कर सकती है या नहीं। यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि परंतुक (बी) अदालत को किसी आपत्ति पर विचार करने से रोकता है जब तक कि निर्धारित समय के भीतर राशि जमा करने या प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है। उस मामले में "मनोरंजन" शब्द की व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन यह माना जाता है कि न्यायालय कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर जमा किए जाने के अभाव में आवेदन पर विचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मामले ने इस तथ्य को उजागर किया कि जमा समय से बाहर किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक और मामले में हाजी रहीम को रिपोर्ट किया गया

बक्स एंड संस बनाम। फर्म समीउल्ला एंड संस [ए. आई. आर. 1963 ऑल 326] ए

डिवीजन बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश देसाई और श्री

न्यायमूर्ति एस. डी. सिंह ने आदेश 21, नियम 90 के शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा कि "मनोरंजन" शब्द का अर्थ "आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड को प्राप्त करना" नहीं है।

वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

या "स्वीकार करें" लेकिन "गुण-दोष पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें" या

" "पर निर्णय लें।

9. हमारी राय में इन मामलों ने सही दृष्टिकोण अपनाया है "मनोरंजन" शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार "विचार को स्वीकार करना" भी है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि

धारा 9 के परंतुक में न्यायालय को निर्देश यह है कि न्यायालय ऐसी अपील पर विचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा जिसके साथ भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।

स्वीकृत कर से। .....

90. कुंदन लाल बनाम जगन नाथ शर्मा और अन्य में। (ऊपर), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति " "मनोरंजन" का अर्थ न्यायालय द्वारा आवेदन दाखिल करने या आवेदन स्वीकार करने के समान नहीं था। "एंटरैन" शब्द का शब्दकोश अर्थ था विषय से निपटना या ध्यान में रखना। उच्च न्यायालय ने आगे कहाः

" 7. ओर के आर. 90 के परंतुक में 'मनोरंजन' शब्द का उपयोग। XXI उस समय को दर्शाता है जिस पर बिक्री को अलग करने के आवेदन पर अदालत द्वारा सुनवाई की जाती है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है

इस तथ्य से कि परंतुक में यह कहा गया है कि बिक्री को अलग रखने के लिए किसी भी आवेदन पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा जो आवेदक द्वारा उस दिन या उससे पहले लिया जा सकता था।

न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है, अर्थात जब न्यायालय को आवेदन में आग्रह किए गए आधारों पर अपना दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है। हमारे विचार में वह चरण जिस पर आवेदक को जमा करने या प्रतिभूति देने की आवश्यकता होती है सी. एल. का मेनिंग। (ख) परंतुक की धारा तब आएगी जब आवेदन की सुनवाई शुरू होने वाली है।

91. हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम पुन्नू साहू (ऊपर) में,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खंड (ख) आदेश 21 नियम 90 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित) के परंतुक में "मनोरंजन" अभिव्यक्ति का अर्थ है "गुण-दोष पर निर्णय लेना" या "गुण-दोष पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना" न कि "दीक्षा"।

आगे बढ़ने के लिए।

92. मार्टिन एंड हैरिस लिमिटेड (उपरोक्त) में, न्यायालय यू. पी. अर्बन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, [2021] 5 एस. सी. आर. की धारा 21 के प्रावधान पर विचार कर रहा था।

किराया और बेदखली) अधिनियम, 1972 जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां इमारत मकान मालिक द्वारा इसकी खरीद से पहले से ही किरायेदार के कब्जे में थी, ऐसी खरीद इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद की जा रही है,

आवेदन पर खंड (ए) में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जाएगा, जब तक कि ऐसी खरीद की तारीख से 3 साल की अवधि समाप्त नहीं हो गई है और मकान मालिक ने किरायेदार को उस आवेदन से कम से कम 6 महीने पहले नोटिस नहीं दिया है, और ऐसी सूचना दी जा सकती है। 3 वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले। न्यायालय ने कहाः

" इस प्रकार पहले परंतुक में उल्लिखित "मनोरंजन" शब्द

खंड (क) में उल्लिखित आधारों के संबंध में धारा 21 (1) का अनिवार्य रूप से अर्थ होगा -

योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए विचार, न कि उससे पहले किसी भी स्तर पर, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राव द्वारा अपीलार्थी के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था।

93. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि "मनोरंजन" अभिव्यक्ति का अर्थ है उठाए गए मुद्दों पर दिमाग का उपयोग करके विचार करना। न्यायालय मनोरंजन करता है

एक मामला जब वह किसी मामले को विचार के लिए लेता है। विचार की प्रक्रिया निर्णय की घोषणा तक जारी रह सकती है जैसा कि तर्क दिया गया है। खंबाटा द्वारा। एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है।

विचार के लिए धारा 9 के तहत एक आवेदन लें, जब तक कि धारा 17 के तहत उपचार अप्रभावी न हो। हालांकि, एक बार आवेदन है

इस अर्थ में विचार किया जाता है कि इसे विचार के लिए लिया जाता है, और न्यायालय ने अपना मन लगा लिया है कि वह निश्चित रूप से आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

94. श्री सिब्बल ने ठीक ही कहा कि धारा 9 (3) के पीछे का इरादा समय को पीछे करना नहीं था और इसके लिए पहले से ही आरक्षित मामले की आवश्यकता थी।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से विचार किए जाने वाले आदेश।

95. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के साथ धारा 9 के संयुक्त अध्ययन पर, एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद, न्यायालय विचार नहीं करेगा और/या दूसरे शब्दों में विचार के लिए नहीं लेगा और अंतरिम उपाय के लिए एक आवेदन पर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जब तक कि धारा 17 के तहत उपचार अप्रभावी न हो, भले ही आवेदन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के समक्ष दायर किया गया हो। धारा 9 (3) का अवरोधक एक बार आवेदन पर विचार किए जाने और विचार के लिए लिए जाने के बाद काम नहीं करेगा, जैसा कि तत्काल मामले में होता है, जहां सुनवाई समाप्त हो गई है और निर्णय सुरक्षित

रखा गया है। श्री खंबाटा सही हो सकते हैं कि विचार की प्रक्रिया घोषणा आर्केलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड तक जारी रहती है।

वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निर्णय की। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और/या क्या न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले कुछ हद तक अपने दिमाग को लागू किया है। यदि ऐसा है, तो कहा जा सकता है कि आवेदन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले विचार किया गया था।

96. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी, हो सकता है

97. अंतरिम राहत के लिए आवेदन स्वाभाविक रूप से ऐसे आवेदन हैं जिनका तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है। अंतरिम राहत अंतिम राहत की सहायता में दी जाती है। उद्देश्य संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मध्यस्थता की विषय वस्तु और/या अन्यथा यह सुनिश्चित करती है कि मध्यस्थता की कार्यवाही निष्फल न हो और मध्यस्थ पुरस्कार कागज पर एक पुरस्कार नहीं बन जाता है, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है।

98. अंतरिम राहत देने के सिद्धांत हैं (i) प्रथम दृष्टया अच्छा मामला, (ii) अंतरिम राहत देने के पक्ष में सुविधा का संतुलन।

राहत और (iii) अंतरिम राहत के लिए आवेदक को अपूरणीय क्षति या हानि। जब तक अंतरिम उपायों के लिए आवेदनों पर तेजी से निर्णय नहीं लिया जाता है,

अंतरिम राहत की मांग करने वाले पक्ष को अपूरणीय क्षति या पूर्वाग्रह हो सकता है।

99. इसलिए, यह कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता था कि धारा 9 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई के बाद भी राहत मिलेगी।

100. जब कोई आवेदन पहले से ही विचार के लिए लिया जा चुका है और विचार की प्रक्रिया में है या पहले से ही विचार किया जा चुका है, तो यह जांचने का सवाल पैदा नहीं होगा कि धारा 17 के तहत उपचार प्रभावी है या नहीं। अभ्यास के संचालन की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब आवेदन पर विचार किया जा रहा हो और/या विचार के लिए लिया जा रहा हो। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो धारा 17 के तहत उपचार को अप्रभावी बनाते हैं। को। एक उदाहरण दें, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने वाले विभिन्न मध्यस्थ दूर के स्थानों पर स्थित हो सकते हैं और तुरंत इकट्ठा होने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामले में अदालत को धारा 9 (1) के तहत तत्काल अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर विचार करना पड़ सकता है।

21] 5 एस सी आर।

UNCITRAL मॉडल कानून को ध्यान में रखते हुए जो न्यायालय को हतोत्साहित करता है एक समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में कार्यवाही जिसमें मध्यस्थता के लिए एक खंड शामिल है।

102. जैसा कि इस अदालत ने अमेज़न में कहा था। कॉम एन. वी. निवेश

होल्डिंग्स एल. एल. सी बनाम फ्यूचर रिटेल (उपरोक्त), धारा 9 (3) को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदनों से अदालतों को भर जाने से रोकना था। 103. नकारात्मक कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ मध्यस्थों के पक्ष में प्राथमिकता के नियम की अगली कड़ी है, यानी मध्यस्थता समझौते के पक्षों के लिए इस तरह के समझौते में शामिल किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के अपने वचन का सम्मान करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम यह है कि न्यायालयों को ऐसे विवादों की सुनवाई करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

104. क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. ", इस न्यायालय ने कहा कि अधिकांश

देश कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते के तहत विवाद पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता को चुनौती देना मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सुनवाई के साथ आगे बढ़ने और अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने से नहीं रोकेगा। यदि यह अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखता है, तो यह अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से किसी भी अदालती कार्रवाई के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना विवाद के सार पर एक निर्णय दे सकता है।

105. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विद्या द्रोलिया और अन्य मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। वी. दुर्गा व्यापार निगम 2 0:

" 129. सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांतों के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ होते हैं। एक सकारात्मक निहितार्थ के रूप में, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता का निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा सक्षम और अधिकृत घोषित किया जाता है।

सवाल करते हैं। व्यक्त नकारात्मक प्रभाव के मामले में, क़ानून शासन करेगा और इसका पालन किया जाना चाहिए। निहित नकारात्मक प्रभाव मध्यस्थ को अनुमति देने के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा रेफरल चरण में अदालत द्वारा हस्तक्षेप को कम करता है और बाधित करता है।

न्यायाधिकरण उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेगा और गैर -

19 (2013) 1 एस. सी. सी. 641

20 (2021) 2 पृष्ठ 98 पर एस. सी. सी. 1 आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मनमानेपन के प्रश्न। नकारात्मक प्रभाव के अनुसार, अदालतें

रेफरल चरण को योग्यता पर निर्णय नहीं लेना है, सिवाय इसके कि कब

कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से अनुमति दी गई

निहितार्थ, गैर-मनमानेपन के ऐसे प्रश्न। इस तरह

न्यायालयों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की प्राथमिकता हो सकती है

आंशिक और सीमित जब कानून कुछ के लिए प्रदान करता है या

इसलिए, योग्यता-क्षमता के सिद्धांतों की जांच करें। कानून के संदर्भ में, यानी मध्यस्थता अधिनियम।

[जोर दिया गया]

106. जैसा कि विद्या द्रोलिया (ऊपर) में कहा गया है, न्यायालय इस पर निर्णय नहीं लेते हैं

जब कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अनुमति दी जाती है तो इसके अलावा गुण। माध्यस्थम न्यायाधिकरण की प्राथमिकता

जब कानून ऐसा प्रदान करता है तो न्यायालय आंशिक और सीमित हो सकते हैं। विद्या द्रोलिया (ऊपर) को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, लेकिन एक अलग मुद्दे पर।

107. यह दोहराया जाता है कि धारा 9 (1) पक्षों को सक्षम बनाती है

मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय अंतरिम उपायों के लिए उपयुक्त न्यायालय से संपर्क करने के लिए मध्यस्थता समझौता।

लेकिन इसे लागू करने से पहले और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार। धारा 9 (3) का बार वहाँ काम करता है जहाँ आवेदन किया जाता है। धारा 9 (1) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन तक विचार नहीं किया गया था। बेशक यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही धारा 9 के तहत एक आवेदन को न्यायाधिकरण के गठन के समक्ष स्वीकार किया गया था, न्यायालय के पास हमेशा पक्षकारों को निर्देश देने का विवेकाधिकार है कि वे अंतरिम संरक्षण का एक सीमित आदेश पारित करके, यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करें, विशेष रूप से जब सुनवाई और आवेदन के बीच सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक लंबा समय अंतराल रहा हो।

नए सिरे से सुना जा सकता है, या सुनवाई अभी शुरू हुई है और इसमें बहुत समय लगने की संभावना है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय को निर्णय पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।

108. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, केवल अपील की अनुमति है

यह स्पष्ट करने की सीमा तक कि वाणिज्यिक न्यायालय के लिए धारा 17 के तहत राहत की प्रभावकारिता पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा धारा 9 के तहत आवेदन पर पहले ही विचार और विचार किया जा चुका है। अपील के तहत निर्णय और आदेश, अन्यथा, हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान